"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 फरवरी 2013—फाल्गुन 8, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक 1631/डी-625/21-ब/छ.ग./2013.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में और संशोधन कर, निम्न आदेश जारी करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसूची के, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम (3)
1.	श्रीमती अनुराधा खरे, सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द	महासमुन्द
2.	श्री मनीष कुमार नायडू, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	बिलासपुर

No. 1631/D-625/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2) namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said notifications, officers mentioned in column (2) are posted as Special Judge, at the places mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of the District (3)
1.	Smt. Anuradha Khare, Sessions Judge, Mahasamund	Mahasamund
2.	Shri Manish Kumar Naidu, IIIrd Additional Sessions Judge, Bilaspur.	Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.